# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी–हेमन्तकुमार घनघोर आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 14/2022 | 05/04/2022 | 19/12/2025 |

1. हरिशंकर पुत्र हिरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र महावीर नगर कोटा मकान नं 3 आई. 17 जिला कोटा राज
2. प्रेमशंकर पुत्र हिरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी नोनेरा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल महावीर नगर कोटा मकान नं 3 आई. 17 जिला कोटा राज
3. दुर्गाशंकर पुत्र हिरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी नोनेरा तह पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल महावीर नगर कोटा मकान नं 3 आई. 17 जिला कोटा राज.
4. कान्ति बाई पुत्री हिरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र महावीर नगर कोटा मकान नं. 3 आई. 17 जिला कोटा राज.
5. गीताबाई पुत्र हिरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी नोनेरा तह पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल महावीर नगर कोटा मकान नं. 3 आई. 17 जिला कोटा राज,
6. धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र तस्वीर (मृतक पुत्री हिरालाल) जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी प्रेमनगर सैकण्ड जिला कोटा राज
7. सुनिता पुत्री तस्वीर (मृतक पुत्री हिरालाल) जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी प्रेमनगर सैकण्ड
कोटा जिला कोटा राज.

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. ललित पुत्र शम्भुदयाल उम्र वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज,
2. गुड्डू उर्फ बबलु पुत्र शम्भुदयाल उम्र वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील
पीपल्दा जिला कोटा राज
3. कमलेश पुत्र शम्भुदयाल उम्र वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
4. कलावती पुत्री शम्भुदयाल उम्र वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारयण मीणा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0।

## वाद अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट

## निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज, के निवासी है और सभी किसान एवं कृषक परिवार से है जो कृषि कार्य करके अपना–अपना जीवन यापन करते है अर्थात अपने–अपने परिवार का पालन पोषण करते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादाजी कल्याणमल शर्मा थे जिनके 7 लडके थे

चौथमल, हिरालाल, कालुलाल, पुरुषोत्तम, प्रहलाद, शम्भुदयाल, लक्ष्मीचन्द थे जिनमे से दो लड़को कि शादी हुई थी अर्थात पाँच लडको कि शादी नही होना ही विवाद का कारण है हिरालाल व शम्भुदयाल जिनके उक्त प्रार्थना पत्र में हिरालाल के वारिस प्रार्थीगण है और शम्भुदयाल के वारीस अप्रार्थीगण है। वाके माल आमल्दा में ख.नं. 439/520 रकबा 0.80 है० भूमि माल प्रथम जमाबन्दी ग्राम आमल्दा पटवार हल्का नोनेरा भू.अभिलेख क्षेत्र इटावा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज. में जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में प्रार्थीगण के चाचा चौथमल, कालुलाल, प्रहलाद, लक्ष्मीचन्द, व अप्रार्थीगण के पिता शम्भुदयाल के नाम दर्ज है जिसमे भी प्रार्थीगणो के पिता का नाम प्रार्थीगण के पिता कि पूर्व में हि मृत्यु हो जाने से वारिस के रूप में दर्ज होने से रह गया कुछ समय बाद उक्त ख.नं. 439/520 रकबा 0.80 है० सिवायचक दर्ज हो गई उसके बाद जरिये मि.नं. 76/06 निर्णय दिनांक 20/4/1986 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय इटावा (पीपल्दा) के आदेशानुसार शिवायचक के स्थान पर उपरोक्त आराजी चौथमल, कालुलाल, प्रहलाद, लक्ष्मीचन्द, व शम्भुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा गैर खातेदार दर्ज हुआ जो पूर्व में कल्याणमल शर्मा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी और 20/4/1986 के आदेश के पूर्व नाकाबिल कास्त मानते हुये सिवायचक दर्ज करदी गई थी अर्थात 20/4/1986 को उपखण्ड अधिकारी इटावा ने आदेश दिया उसमें हिरालाल व उसके वारीसो को नहीं दर्शाया गया नहीं रेवेन्यु कोर्ट में उक्त भुमि का रेकार्ड दुरस्त करवाने कि न्यायिक कार्यवाही में हिरालाल कि मृत्यु होने से उसके भाईयो ने भी उसके वारीसो को नहीं दर्शाया और वारीसान के तथ्यो को छिपाकर न्यायालय से आदेश करवा लिया जो एक घोर लापरवाई कानुनन अवैध व हिरालाल के अधिकारो के विरूद्ध है कल्याणमल व उसके पुत्र हिरालाल के सभी वारीसो (प्रार्थीगणो) का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज होना लाजमी था जो अब होना चाहिये। ख.नं. 439/520 रकबा 0.80 हैक्टर पर निर्णय दिनांक 3/2/2020 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के पालना में 16/3/2020 को जरिये नामान्तरण संख्या 35 अप्रार्थीगणो को उक्त भूमि के वारिस मानते हुये अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज किये गये क्यों कि अप्रार्थीगणो द्वारा रेवेन्यु अधिकारीयो को वारीसानो कि जानकारी के तथ्यो एवं अन्य वारीसो कि उपस्थिति को छिपाते हुये पेश किया और अप्रार्थी ने स्वयं के नाम भुमि पर नामान्तरण गलत दर्ज करवा लिया जो निरस्त मानते हुये पुनः उक्त प्रार्थना पत्र के सम्पुर्ण वारिसो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का नाम एवं हिस्सा दर्ज करते हुये रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जाना लाजमी है और ख.नं.439/520 रकबा 0.80 हैक्टर पर से एक मात्र व्यक्ति अप्रार्थीगण कम 1 ललितकिशोर पुत्र शम्भुदयाल का नाम खाते से खारीज किया जावे क्योंकी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रमाणित है कि ललित किशोर किसी के गोद नहीं गया और अपने पिता कि आराजी प्राप्त कि हुई है ग्राम आमल्दा में ख.नं. 359 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा भुमि प्रतापी बाई बेवा कल्याण उर्फ कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 में दर्ज है जिसके सेटलमेन्ट के जरिये मिलान क्षेत्रफल नये ख.नं. वर्तमान 339/484 रकबा 1.60 हैक्टर दर्ज हुआ जो प्रतापीबाई पत्नि कल्याण उर्फ कल्याणमल के नाम अलोट हुई थी जिस पर प्रतापीबाई के वारीस होने से प्रार्थीणो का हिस्सा बनता है तथा प्रार्थीगणो का हिस्सा उनके पिता हिरालाल के स्थान पर दर्ज किया जाना अधिकारिक तौर पर आवश्यक है और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज करदी गई है जिसको पुनः

खातेदारी में तथा प्रार्थीगणो के नाम वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। ग्राम खरवन तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज, में जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 के अनुसार तत्कालीन खातेदार प्रतापीबाई बैवा कल्याण उर्फ कल्याणमल जाति ब्राहम्ण के खाते ख.नं. 189 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिस पर भी प्रतापीबाई के सभी वारीसो का हिस्सा बनता है जिसके सेटलमेन्ट विभाग ने जरिये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये ख.नं. 239 रकबा 0.39है० दर्ज किया है तथा भूमि कम दर्ज करदी जिसका कोई अधिकार सेटलमेन्ट को नहीं था और उक्त भूमि को आदेश दिनांक 28/4/1986 का वापिस न्यायालय के आदेशानुसार नये ख.नं. 239 रकबा 0.80 है० दर्ज कर दिया और उक्त रकबा दुरस्ती कि न्यायिक कार्यवाही में भी अप्रार्थीगणो ने प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगणो के पिता हिरालाल के वारीस होने के तथ्यों को छिपाया और उक्त भूमि अपने नाम खाते दर्ज करवाली जिस पर प्रतापीबाई के सभी वारीसो का हिस्सा बनता है अर्थात प्रार्थीगणो का हिस्सा उनके पिता हिरालाल के स्थान पर दर्ज किया जाना वारीसान एवं अधिकारिक तौर पर आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में वांछित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणो के दादा कल्याण उर्फ कल्याणमल के सात लडके थे जिनमें से मात्र 2 लडके हिरालाल व शम्भुदयाल ही शादीशुदा थे जिनके हि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है जो उक्त प्रार्थना पत्र में मौजूद है हिरालाल व शम्भुदयाल दो शादीशुदा पुत्रो के अलावा पाँच और वारीस चौथमल, कालुलाल, पुरुषोत्तम, प्रहलाद, लक्ष्मीचन्द थे जो शादीशुदा नहीं थे और नाऔलाद फौत हो चुके है जिनके सुलभी वारीस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ही है इसलिये प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित सम्पुर्ण आराजी में प्रार्थीगणो एवं अप्रार्थीगणो का 1/2, 1/2 हिस्सेदार है जबकी उक्त प्रकरण में वांछित भुमि को सिवायचक से गैरखातेदारी में दर्ज करवाते समय वैध वारीसो को छिपाकर अप्रार्थीगणो ने उक्त भुमि के सम्बंधित दस्तावेज अपने हिसाब से तैयार करवाकर रेवेन्यु अधिकारीयो से मिलीभगत कर न्यायालयो में गलत तथ्यों को पेशकर उक्त भूमि से प्रार्थीगणो एवं उसके पिता का नाम हटवा दिया गया है जो सर्वथा अवैध एवं प्रार्थीगणो के अधिकारो के विरूद्ध है। अप्रार्थीगण स्वयं के नाम रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भुमि को रहन, दान, वसीयत, बैचान आदी करने पर आमादा है तथा किसी न किसी प्रकार से प्रार्थीगणो के हिस्से कि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। अगर उक्त आराजी के रेवेन्यु रेकार्ड को किसी न किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगणो को भविष्य में और न्यायालयो में उलझना पड़ेगा अप्रार्थीगणो द्वारा अन्यत्र तरीके से खुर्द-बुर्द कर प्रार्थीगणो कि भूमि को कब्जे में लेकर हडप लिया जाता है तो अप्रार्थीगणो का भविष्य में कब्जा हटाना मुश्किल हो जायेगा और प्रार्थीगणो को अपुर्णिय क्षति होगी और भविष्य में प्रार्थीगणो को वाद विवादो में उलझना पड़ेगा जो कानूनन अपने पिता कि सम्पत्ति एवं कृषि आराजी से प्राप्त हिस्से से अपने बच्चो कि शादी एवं पढाई का खर्च एवं भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है अगर उक्त आराजी से प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं करने दिया गया एवं उक्त आराजी को खुर्द-बुर्द कर दिया तो वादीगण भूखे मर जावेगे व उनका जीवन बर्बाद हो जायेगा। अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी सरोकार करने व कब्जा करने पर उतारू है जबकी अप्रार्थीगणों को सम्पूर्ण आराजी पर ऐसा करने का कोई कानुनी हक अधिकार हाशिल नहीं है यदि अप्रार्थीगण अपने मकशद में कामयाब हो जाते है और प्रार्थीगण को गैर कानुनी तरीके से बैदखल कर देते हैं तो प्रार्थीगण को साम्पत्तिक अधिकारो का हनन होगा तथा प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी

जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकता । इसलिए प्रार्थीगण को यह हक हासिल है कि वो अपने सांपत्तिक अधिकारों कि रक्षा करे दौराने वाद, तादकारण जिन्दा रखने के लिये अप्रार्थीगणो को तुरन्त पाबन्द किया जाना आवश्यक है लिहाजा प्रार्थीगणो द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी है तथा प्रार्थीगणो द्वारा अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की निषेधाज्ञा जारी करवाने का हक हासिल है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष में है क्यों कि प्रार्थीगण उक्त आराजी अपने पिता के स्थान पर एवं कल्याणउर्फ कल्याणमल शर्मा व प्रार्थीगणो कि दादी प्रतापीबाई के वारीसान होने से सम्पुर्ण भुमि में 1/2 हिस्से के हकदार होने से एवं कब्जे कास्त कास्तकार है और एक खातेदार के रूप में ही उक्त आराजी मे जन्म से ही भरण–पोषण प्राप्त करते चले आ रहे है इसलिए उक्त विवादित भुमि के रेवेन्यु रिकॉर्ड को दुरस्त किये बिना एवं उक्त भुमि कि पेमाईश करवाकर हिस्से दर्शाये बिना खुर्द–बुर्द करने से प्रार्थीगणो को ही अपुर्णिय क्षति होने कि पुर्ण सम्भावना है और सुविधा का संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्यों प्रार्थीगण 1/2 के हिस्सेदार एवं कब्जेदार कास्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगणो के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणो के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के विरुद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारीत कि जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित कृषि आराजी वाके माल ग्राम आमल्दा व खरवन पटवार क्षेत्र नोनेरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित है जिसके खाता सख्या व खसरा नम्बर निम्न प्रकार है ख.नं. 439/520 रकबा 0.80 है० भुमि माल प्रथम जमाबन्दी ग्राम आमल्दा व और ग्राम खरवण पटवार हल्का नोनेरा में ख.नं. 239 रकबा 0.39 है० जिसमे प्रार्थीगणो का भी हिस्सा है जिस पर प्रतापीबाई के सभी वारीसो का हिस्सा बनता है अर्थात प्रार्थीगणो का हिस्सा उनके पिता हिरालाल के स्थान पर दर्ज किया जाना वारीसान एवं अधिकारीक तोर पर आवश्यक है तथा ख.नं. 439/520 रकबा 0.80 हैक्टर पर से एक मात्र व्यक्ति अप्रार्थी कम 1 ललितकिशोर पुत्र शम्भुदयाल का नाम खाते से खारीज किया जाने योग्य है क्योंकी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रमाणित है कि ललित किशोर किसी के गोद नहीं गया और अपने पिता कि आराजी प्राप्त कि हुई है। ग्राम आमल्दा में ख.नं. 359 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा भुमि प्रतापीबाई बेवा कल्याण उर्फ कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 में दर्ज है जिसके सेटलमेन्ट के जरिये मिलानक्षेत्रफल नये ख.नं. वर्तमान 339/484 रकबा 1.60 हैक्टर दर्ज हुआ जो प्रतापीबाई पत्नि कल्याण उर्फ कल्याणमल के नाम अलोट हुई थी जिस पर प्रतापीबाई के वारीस होने से वादीगणो का हिस्सा बनता है तथा प्रार्थीगणो का हिस्सा उनके पिता हिरालाल के स्थान पर दर्ज किया जाना अधिकारिक तौर पर आवश्यक है और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज करदी गई है जिसको पुनः खातेदारी में तथा प्रार्थीगणो के नाम वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगणो का हिस्सा व अप्रार्थीगणो का हिस्सा पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज कर मेडबन्दी करने का आदेश प्रदान किये जाने तक अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 5 को आदेश दिया जावें कि उपरोक्त विवादित आराजी को दौराने दावा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त विवादित कृषि आराजी पर निर्माण कार्य, या किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द आदी नहीं करे अगर किसी भी प्रकार से

[illegible] कर कब्जा प्राप्त कर लेता है तो अप्रार्थीगणों द्वारा किया [illegible] प्रभावहीन तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार [illegible] अप्रार्थीगणों को [illegible] कर कब्जा प्रार्थी को [illegible] किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

[illegible] प्रार्थी की ओर से [illegible] पेश किया। [illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] अप्रार्थीगण की ओर से [illegible] की गई। अप्रार्थीगण [illegible] पेश किया। [illegible] किया कि [illegible] होने व [illegible] जावे।

[illegible] किया गया। [illegible] खसरा नंबर [illegible] रकबा [illegible] का अवलोकन किया। [illegible] खसरा नंबर [illegible] रकबा [illegible] है [illegible] प्रार्थी का [illegible] नहीं [illegible] है इसलिए प्रार्थी का [illegible] खातेदार [illegible] खसरा नंबर [illegible] के अनुसार [illegible] है इसी प्रकार खसरा नंबर [illegible] रकबा [illegible] है [illegible] प्रार्थी के [illegible] तथा खसरा नंबर [illegible] रकबा [illegible] है [illegible] नहीं है। यह [illegible] सिद्धांत है कि [illegible] नहीं [illegible] चाहिए [illegible] अधिकारियों को [illegible] नहीं [illegible] किया जाना [illegible] नहीं होने के कारण [illegible] इसलिए [illegible] प्रार्थी के [illegible] है [illegible] किया जाता है [illegible] किया गया।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला [illegible]